

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शोल्या)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 335/25 दायर दिनांक 27.9.25

निर्णय दिनांक 27/09/2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	शोल्या	210	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	तहसीलदार कपासन की अनुशंघा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शोल्या</u> प.ह. <u>सेमलपुर</u> खातासं <u>210</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।	
			हस्ताक्षर <u>वर्तमान प्रविष्टी</u>	हस्ताक्षर गिर <u>शुद्ध प्रविष्टी</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल शोल्या को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

कपासन जिला-चितौड़गढ

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार (प.अ.) कपासन